आदेश

आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एसडीएम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसील गोपा का बास पटा ग्राम के आवे खाता सं 148 के अंतर्गत ख.नं. 131 (रकबा 0.16 है.), ख.नं. 151 (रकबा 1.35 है.) ख.नं. 214 (रकबा 0.01 है.), ख.नं. 215 (रकबा 2.79 है.) ख.नं. 588 (रकबा 1.37 है.), ख.नं. 73 (रकबा 1.16 है.) कुल किता 6 का कुल रकबा 6.84 है. में प्रार्थी/आवेदक गण वीरपाल पुत्र गणेश के स्थान पर कृपाल पुत्र गणपत पुत्र करने किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार चिड़ावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद रखा जावे व शेष कार्यवाही यथावत रहेगी। पत्रावली अमल दुमाद होकर नम्बर के बाद हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनू (राज.)